प्रेस नोट 20.04.2021

निजी अस्पताल में फायरिंग व तोड़–फोड़ कर रंगदारी मांगने वाले 02 शातिर गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान मे क्रम में दिनांक 19.04.2021 को सायं काल निजी अस्पताल में फायरिंग व तोडफोड कर रंगदारी मांगनें मामलें में पंजीकृत मु0अ0सं0 140/21 धारा 147,148,149,307,386,504,427,506 भादवि0, 07 सीएलए एक्ट व धारा 3 चि0प0 अधिनियम में वांछित अभियुक्तगण अकिंत सिंह उर्फ अर्जुन सिंह पुत्र वृजेश सिंह निवासी मेरू का पुरा तड़वा थाना तरवा जनपद आजमगढ हाल पता चर्च कम्पाउंड सहादतपुरा थाना कोतवाली, विजय पाल पुत्र गणेश पाल निवासी चन्द्रा पब्लिक स्कूल के पास चकमेहदी थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.04. 2021 को सांय काल कुछ व्यक्तियों द्वारा पुरानी तहसील स्थित एक निजी अस्पताल में तोड़फोड कर रंगदारी मांगने की कोशिश की गयी थी जिसके सम्बन्ध में 02 नामजद व अन्य अज्ञात के विरूद्ध थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही थी।

35 लीटर अवैध शराब के साथ 02 गिरफ्तार–

आज दिनांक 20.04.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा शत्रूधन चौहान पुत्र कुम्भकरण चौहान निवासी सोनाडीह थाना उभाव जनपद बलिया के कब्जे से 25 लीटर अवैध कच्ची शराब, थाना रामपुर पुलिस द्वारा जीतउ राजभर पुत्र स्व0 लक्ष्मी रामभर निवासी कंधरापुर थाना रामपुर बेलौली जनपद मऊ के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना सम्बन्धित पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

शांति भंग की आशंका में 17 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 20.04.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा सतीश कुमार, अजय कुमार, रंजीत कुमार, दीलीप कुमार निवासीगण गोठा थाना दोहरीघाट, थाना घोसी पुलिस द्वारा विजय, जोगेन्द्र निवासीगण कस्बा घोसी, लक्ष्मण निवासी प्यारेपुर थाना घोसी, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा सम्भु चौहान, श्रीराम चौहान निवासीगण बड़ागांव, देवानन्द, राहुल निवासीगण गाढा थाना हलधरपुर, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा अलगु, रामरूप निवासीगण कसारा, महेन्द्र मनोज निवासीगण सहरोज थाना कोपागंज, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा रामप्रवेश, अशोक निवासीगण रोधोपट्टी थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।